



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-06.05.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना को0 टाण्डा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-132/25 धारा 109(1)/352/324(2) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कुल 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल मय 02 अदद खोखा कारतूस किया गया बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकरनगर द्वारा अपराधों के रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में थाना को0 टाण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-132/25 धारा 109(1)/352/324(2) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र वंशराज वर्मा नि0 अकूतपुर थाना को0 टाण्डा अ0नगर उम्र 35 वर्ष 2.सूरज उर्फ गब्बर पुत्र अच्छेलाल उम्र करीब 30 वर्ष नि0 अकूतपुर थाना को0 टाण्डा अ0नगर 3.विशाल वर्मा पुत्र बृजलाल वर्मा नि0 अकूतपुर थाना को0 टाण्डा अ0नगर 4.लक्ष्मीनारायण वर्मा पुत्र स्व0 बलकद्व प्रसाद वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष नि0 अकूतपुर थाना को0 टाण्डा अ0नगर 5.जितेन्द्र कुमार यादव उर्फ कल्लू पुत्र पुद्दन लाल यादव नि0 कल्याणपुर उदनपुर थाना हंसवर अ0नगर उम्र करीब-36 वर्ष को दिनांक 06.05.25 थाना को0 टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर के भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया जिसमें आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

विवरण दिनांक 04.05.25 को समय रात्रि 09.00 बजे थाना को0 टाण्डा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सूरज पुत्र अच्छेलाल नि0 अकूतपुर थाना को0 टाण्डा अ0नगर को अजय वर्मा पुत्र रामउजागिर वर्मा नि0 अकूतपुर थाना को0 टाण्डा जनपद अ0नगर ने जान से मारने की नियत से गोली मार दी है। उपरोक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-132/25 धारा 109(1)/352/324(2) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय टाण्डा को अवगत कराया गया। उपरोक्त मुकदमे में विवेचना के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि सूरज व अरविन्द वर्मा की अजय वर्मा से दोपहर 03.00 बजे हसनपुर सुन्थर स्थित सियाराम गुप्ता की चाय की दुकान पर शराब पीते हुए विवाद हुआ था। उपरोक्त विवाद के पश्चात अजय वर्मा द्वारा अरविन्द वर्मा के घर पर जाकर अरविन्द वर्मा के भाई व बहन से झगड़ा किया गया था। उपरोक्त बात से खिन्न होकर अरविन्द वर्मा व सूरज वर्मा द्वारा अजय वर्मा को गम्भीर संज्ञेय अपराध में फसाने की साजिश की गयी। उपरोक्त योजना के दृष्टिगत अरविन्द वर्मा द्वारा विशाल वर्मा से अवैध असलहा मय कारतूस मय मैगजीन पैसे देकर मंगाया गया। उपरोक्त असलहा की खरीद के लिये विशाल वर्मा द्वारा लक्ष्मीनारायण वर्मा से सम्पर्क किया गया। लक्ष्मीनारायण वर्मा द्वारा अरविन्द वर्मा से पैसे प्राप्त कर जितेन्द्र कुमार यादव उर्फ कल्लू से असलहा खरीदा गया। उपरोक्त असलहा को प्राप्त कर अरविन्द वर्मा द्वारा असलहे की मदद से सूरज कुमार को दाहिने साइड में पेट के किनारे पर गोली मारी गयी। उसके पश्चात सूरज कुमार द्वारा झूठी सूचना थाना कोतवाली को देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

अरविन्द वर्मा व सूरज कुमार का यह कृत्य संज्ञे अपराध की धारा-217/229(1)/231/248(ख) बीएनएस व 3/5/25/27 आयुध अधि० का वर्णित अपराध है।

विशाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, जितेन्द्र कुमार यादव उर्फ कल्लू द्वारा अवैध असलहे की खरीद फरोख्त 5/25 आयुध अधि० का वर्णित अपराध है।

उपरोक्त सभी अपराधियों को भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द वर्मा पुत्र वंशराज वर्मा नि० अकूतपुर थाना को० टाण्डा अ०नगर उम्र 35 वर्ष
2. सूरज उर्फ गब्बर पुत्र अच्छेलाल उम्र करीब 30 वर्ष नि० अकूतपुर थाना को० टाण्डा अ०नगर
3. विशाल वर्मा पुत्र बृजलाल वर्मा नि० अकूतपुर थाना को० टाण्डा अ०नगर
4. लक्ष्मीनारायण वर्मा पुत्र स्व० बलकद्व प्रसाद वर्मा उम्र करीब 52 वर्ष नि० अकूतपुर थाना को० टाण्डा अ०नगर
5. जितेन्द्र कुमार यादव उर्फ कल्लू पुत्र पुद्दन लाल यादव नि० कल्यानपुर उदनपुर थाना हंसवर अ०नगर उम्र करीब-36 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक:- 06.05.25

बरामगदी – 01 अदद अवैध पिस्टल मय 02 अदद खोखा कारतूस

विवरण आपराधिक इतिहास अरविन्द वर्मा पुत्र वंशराज वर्मा

1. मु०अ०सं०-132/25 धारा 109(1)/352/324(2) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अ०नगर
2. मु०अ०सं०-427/13 धारा-356/379/392/411 भादवि थाना को० अकबरपुर अ०नगर
3. मु०अ०सं०-152/13 धारा-302/393 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना अलीगंज अ०नगर
4. मु०अ०सं०-225/13 धारा-323/356/394/411/420/467/468 भादवि थाना को० टाण्डा अ०नगर
5. मु०अ०सं०-82/13 धारा-3/25 आयुध अधि० थाना मालीपुर जनपद अ०नगर
6. मु०अ०सं०-348/19 धारा-363/366/504/506 भादवि थाना को० टाण्डा अ०नगर
7. मु०अ०सं०-262/19 धारा-323/354(क)/504/506 भादवि थाना को० टाण्डा अ०नगर
8. मु०अ०सं०-109/22 धारा-3(1) यू०पी० गैंग० एक्ट थाना को० टाण्डा अ०नगर
9. मु०अ०सं०-56/22 धारा-3/25 आयुध अधि० थाना को० टाण्डा अ०नगर
10. मु०अ०सं० 55/22 धारा-307/504/506 भादवि थाना को० टाण्डा अ०नगर
11. मु०अ०सं०-328/19 धारा-323/325/504/506 भादवि थाना टाण्डा अ०नगर
12. मु०अ०सं० 252/19 धारा-323/504/506 भादवि थाना टाण्डा अ०नगर
13. मु०अ०सं०-237/21 धारा-302/201/34/120 भादवि थाना टाण्डा अ०नगर
14. मु०अ०सं० -276/18 धारा-411/420/468/467 भादवि थाना अकबरपुर अ०नगर
15. मु०अ०सं०-274/18 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना को० अकबरपुर अ०नगर
16. मु०अस०-269/18 धारा-386 भादवि थाना को० अकबरपुर अ०नगर

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्र०नि० दीपक सिंह रघुवंशी मय हमराह थाना को० टाण्डा अ०नगर
2. नि० अनुरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराह थाना को० टाण्डा अ०नगर